



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062021-227770
CG-DL-E-22062021-227770

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2243]
No. 2243]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 21, 2021/ज्येष्ठ 31, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 21, 2021/JYAISTHA 31, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 21 जून, 2021

का.आ. 2421(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 176(ई), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग -244 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 2.016 (गोहा ग्राम लिंक रोड खंड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन "दैनिक उद्धान" में 18.05.2021 और "दैनिक एक्सेलसियर" में 19.01.2021 दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग -244 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 2.016 (गोहा ग्राम लिंक रोड खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: डोडा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: मरमत				
	गांव का नाम: गोहा				
1	1	सरकारी	चराई	0.300985	रेवेन्यू/डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर (१)
2	17	निजी	एग्रीकल्चर	0.002529	नन्द किशोर सन ऑफ कुंदन लाल (१७)
3	18	निजी	कृषि	0.065761	चन्दर कांटा डॉटर ऑफ हरी लाल वाइफ ऑफ तीरथ राम (१८)
4	717/97	सरकारी	पव्ड सबडिविजन डोडा	0.042998	पव्ड सबडिविजन डोडा (७१७/९७)
5	722/86	सरकारी	पव्ड सबडिविजन डोडा	0.027822	पव्ड सबडिविजन डोडा (७२२/८६)
6	87	निजी	कृषि	0.005059	मकसूदा (६५५/६३७/८७)
			कुल	0.445154	

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Kishwtar/DPR/Goha-Khellani/Link Road/LA/2020-21/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi the 21st June 2021

S.O. 2421(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O.176(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (two lane with paved shoulder), maintenance, management and operation of NH-244 on the stretch of land from Design Km. 0.000 to Km.2.016 (Goha Village Link Road Section) in the district of Doda in the Union Territory of Jammu & Kashmir.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Daily Udaan” on dated 18.05.2021 and “Daily Excelsior” on dated 19.01.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-244 in the stretch of land from Design Km. 0.000 to Km. 2.016 (Goha Village Link Road Section) in the district of Doda in the Union Territory of Jammu & Kashmir.

State: JAMMU & KASHMIR			District: DODA		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Marmat				
	Village: Goha				
1	1	Government	Grazing	0.300985	Revenue Department, Government of Jammu and Kashmir 1
2	17	Private	agriculture	0.002529	Nand Kishore Son of Kundan Lal 17
3	18	Private	Agriculture	0.065761	Chander Kanta Daughter of Hari Lal Wife of Tirath Ram 18
4	717/97	Government	PWD SubDivision Doda	0.042998	PWD SubDivision Doda 717/97
5	722/86	Government	PWD SubDivision Doda	0.027822	PWD SubDivision Doda 722/86

6	87	Private	Agriculture	0.005059	Maqsooda 655/637/87
			TOTAL	0.445154	

[F. No. NHIDCL/PMU-Kishwtar/DPR/Goha-Khellani/Link Road/LA/2020-21/3D]

RAJESH GUPTA, Director